दिल्ली राजपत्र (असाधारण) के भाग 4 में प्रकाशनार्थ
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र : दिल्ली सरकार
(राजस्व विभाग)
5 , शाम नाथ मार्ग , दिल्ली

सं0.1(742)/जी.ए./स्थ./ उपा./रा. श./2012/2988   दिनांक : 15/01/2013

<u>अधिसूचना</u>

कुमारी पूजा जैन, भा0 प्रा0 से0 (परिवीक्षार्थी), **श्री दानिश अशरफ, भा0 प्रा0 से0 (परिवीक्षार्थी) और श्री रवि धवन, भा0 प्रा0 से0 (परिवीक्षार्थी)** जिन्होने 42 सप्ताह के लिए आयोजित जिला प्रषिक्षण कार्यक्रम के सन्दर्भ मे राजस्व विभाग मे कार्य ग्रहण कर लिया है क्रमशः जिला उत्तर, दक्षिण–पश्चिम तथा दक्षिण मे उप–मण्डलीय दण्डाधिकारी का कार्यभार 18/03/2013 से 30/04/2013 तक संभालेगें। अतः–

(1) सं0.1(742)/जी.ए./स्थ./ उपा./रा. श./2012 – राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा लागू पंजाब भू–राजस्व अधिनियम 1887 (1887 का पंजाब अधिनियम संख्या 17) की धारा 27 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अर्न्तगत **कुमारी पूजा जैन, भा0 प्रा0 से0 (परिवीक्षार्थी), श्री दानिश अशरफ, भा0 प्रा0 से0 (परिवीक्षार्थी) और श्री रवि धवन, भा0 प्रा0 से0 (परिवीक्षार्थी)** को कथित क्षेत्र मे उस समय तक सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी की शक्तियों को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जबतक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो, प्रदान करते है ।

(2) सं0.1(742)/जी.ए./स्थ./ उपा./रा. श./2012 – राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित उत्तरप्रदेश भू–राजस्व अधिनियम 1901 (1901 का अधिनियम संख्या 03) की धारा 223 के साथ पठित धारा 15 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा **कुमारी पूजा जैन, भा0 प्रा0 से0 (परिवीक्षार्थी), श्री दानिश अशरफ, भा0 प्रा0 से0 (परिवीक्षार्थी) और श्री रवि धवन, भा0 प्रा0 से0 (परिवीक्षार्थी)** को कथित क्षेत्र मे उस समय तक सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी की शक्तियों को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जबतक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो, प्रदान करते है ।

(3) सं0.1(742)/जी.ए./स्थ./ उपा./रा. श./2012 – दिल्ली भू–राजस्व अधिनियम 1954 (1954 का अधिनियम संख्या 12) की धारा 76 के साथ पठित धारा 07 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा **कुमारी पूजा जैन, भा0 प्रा0 से0 (परिवीक्षार्थी), श्री दानिश अशरफ, भा0 प्रा0 से0 (परिवीक्षार्थी) और श्री रवि धवन, भा0 प्रा0 से0 (परिवीक्षार्थी)** को कथित क्षेत्र मे उस समय तक सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी तथा राजस्व सहायक के रूप में नियुक्त करते है तथा उक्त अधिनियम के अर्न्तगत उस समय तक कलैक्टर की सभी शक्तियाँ अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जबतक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो, प्रदान करते है ।

(4) सं0.1(742)/जी.ए./स्थ./ उपा./रा. श./2012 – राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा लागू उत्तरी भारत नहर तथा जल निकास अधिनियम 1873 (1873 का अधिनियम संख्या 02) की धारा 03 के खण्ड 6 के साथ पठित धारा 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उक्त अधिनियम के अर्न्तगत कलैक्टर की सभी शक्तियों तथा कार्यो को करने अथवा अधिरोधित करने के लिये **कुमारी पूजा जैन, भा0 प्रा0 से0 (परिवीक्षार्थी), श्री दानिश अशरफ, भा0 प्रा0 से0 (परिवीक्षार्थी) और श्री रवि धवन, भा0 प्रा0 से0 (परिवीक्षार्थी)** को कथित क्षेत्र मे उस समय तक कलैक्टर की शक्तियों को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो, प्रदान करते है ।

(5) सं0.1(742)/जी.ए./स्थ./ उपा./रा. श./2012 – दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम 1954 के अधिनियम संख्या 8 की धारा 3 के खंड 19 ए के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उक्त अधिनियम की अनुसूची 1 परिशिष्ट में वर्णित राजस्व सहायक के कार्यो को निर्वाहन करने के लिए **कुमारी पूजा जैन, भा0 प्रा0 से0 (परिवीक्षार्थी), श्री दानिश अशरफ, भा0 प्रा0 से0 (परिवीक्षार्थी) और श्री रवि धवन, भा0 प्रा0 से0 (परिवीक्षार्थी)** को कथित क्षेत्र मे उस समय तक सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी की शक्तियों को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जबतक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो, प्रदान करते है ।

(6) सं0.1(742)/जी.ए./स्थ./ उपा./रा. श./2012 – पूर्वी पंजाब जोत (चकबंदी तथा विखंडन रोकथाम) अधिनियम 1948 (1948 का पूर्वी पंजाब अधिनियम संख्या 50) की धारा 20 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल **कुमारी पूजा जैन, भा0 प्रा0 से0 (परिवीक्षार्थी), श्री दानिश अशरफ, भा0 प्रा0 से0 (परिवीक्षार्थी) और श्री रवि धवन, भा0 प्रा0 से0 (परिवीक्षार्थी)** को कथित क्षेत्र मे उस समय तक बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) के रूप में अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जबतक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेशों तक इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

(7) सं0.1(742)/जी.ए./स्थ./ उपा./रा. श./2012 – दिल्ली भूमि जोत (सीमाबंदी) अधिनियम 1960 (1960 का अधिनियम सं0 24) की धारा 2 के खंड ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उक्त अधिनियम के अंतर्गत कथित क्षेत्र मे उस समस्त क्षेत्र के लिए जहां लागू होता हों के लिये सक्षम प्राधिकारी का कार्य करने के लिये **कुमारी पूजा जैन, भा0 प्रा0 से0 (परिवीक्षार्थी), श्री दानिश अशरफ, भा0 प्रा0 से0 (परिवीक्षार्थी) और श्री रवि धवन, भा0 प्रा0 से0 (परिवीक्षार्थी)** को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जबतक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो, प्राधिकृत करते है ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश तथा उनके नाम पर

कुलदीप सिंह गंगर

(कुलदीप सिंह गंगर)
विशेष सचिव (राजस्व)/
उपायुक्त (मुख्यालय)

सं0.1(742)/जी.ए./स्थ./ उपा./रा. श./2012/2988
दिनांक : 14/01/2013

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :–

1. उप–सचिव (सा0 प्रा0 वि0) रा. रा. क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग 4 में प्रकाशनार्थ अधिसूचना की दो प्रतियां अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद सहित ।
2. उपायुक्त, जिला उत्तर, दक्षिण–पश्चिम तथा दक्षिण दिल्ली ।
3. संबधित अधिकारी को उपायुक्त जिला उत्तर, दक्षिण–पश्चिम तथा दक्षिण दिल्ली के माध्यम से ।
4. प्रणाली विषलेषक (उपयुक्त अधिसूचना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु)
5. निजी सचिव, सचिव (राजस्व)/मण्डलायुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र,दिल्ली, ।
6. गार्ड फाइल ।

(अशोक कुमार शर्मा)
उप–मण्डलीय दण्डाधिकारी (मु0–IV)